BSG [illegible]

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.2262/जी0एस0 दिनांक 22.9.2005 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/3764/2005 दिनांक 29.06.2045 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के *"परन्तुक"* के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, हेरवल, हरदोई को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2005 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या में एवं प्रपत्र बी में में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का विधितः गठन कर उसका अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी 30 सितम्बर,2005 तक पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 5175 /2005 दिनांक 19/10/05

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, हेरवल, हरदोई को इस आशय से प्रेषित है कि **महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।**

   उक्त के अतिरिक्त आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि महामहिम कुलाधिपति जी के सम्बद्धता पत्र में अंकित कमियों को सम्बद्धता पत्र में दी हुई समय सीमा के अन्दर पूरा कर अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायी जाए ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव
(का0)